झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

संकल्प

विषयः राज्य सृजन के पूर्व औद्योगिक इकाइयों को दिए गए विभिन्न प्रकार के ऋण यथा औद्योगिक ऋण, बीजधन ऋण एवं सूदमुक्त ऋण के एक मुश्त निपटारा के संबंध में।

झारखण्ड राज्य का सृजन 15 नवम्बर 2000 को हुआ। राज्य सृजन के पूर्व वर्ष 1990 के पूर्व बिहार सरकार की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत विभिन्न औद्योगिक इकाइयों को निम्नांकित प्रकार के ऋण विभिन्न अवधि में उपलब्ध कराये गये :–

i. औद्योगिक ऋण

ii. बीजधन ऋण एवं

iii. सूदमूक्त ऋण,

i. औद्योगिक ऋण :– औद्योगिक ऋण छोटे–छोटे उद्योगों की स्थापना यथा – सिलाई मशीन के लिए प्रखण्ड स्तर पर रू0 265.00 प्रति लाभुक दिया जाता था। बाद में इस योजना में परिवर्तन किया गया जिसके आधार पर छोटे उद्योग लगाने एवं प्लांट एवं मशीनरी के कय हेतु रू0 1000 तथा बाद में रू0 50,000 तक का औद्योगिक ऋण दिया गया।

ii. **बीजधन ऋण** :– बिहार सरकार की औद्योगिक नीति–1979 के अन्तर्गत प्रारम्भ की गयी थी। बाद में समय–समय पर इसमें संशोधन किया गया तथा औद्योगिक नीति–1981 एवं उसके उपरान्त बिहार औद्योगिक नीति–1986 के अन्तर्गत बीजधन ऋण (Seed money Loan) वैसे उद्यमियों को दिया गया, जिनके द्वारा बैंक ऋण के विरूद्ध प्रोमोटर अंशदान दिया जाना संभव नहीं था। इस ऋण की अधितकम सीमा रू0 1,12,500.00 थी तथा उद्यमियों के द्वारा कम से कम 50 प्रतिशत तक अंशदान दिया जाना था।

ऋण का भुगतान 12 वार्षिक किस्तों में 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर दिया जाना था। समय पर सूद की किस्त के भुगतान पर 3 प्रतिशत की छूट एवं बिलंब के लिए 2 प्रतिशत दण्डनात्मक सूद बकाये के आधार पर देय था।

iii. <u>सूदमूक्त ऋण</u> :– उद्योग विभाग, बिहार के संकल्प संख्या 2829 दिनांक 08.03.1980 के द्वारा उद्योगों की स्थापना एवं विकास के लिए नयी लघु एवं टाईनी औद्योगिक इकाइयों के लिए विक्री कर सेट ऑफ करने के पश्चात जमा की गयी राशि को सामने रखकर बिना सूद के ऋण देने की योजना लागू की गयी है। औद्योगिक इकाइयों को 01 अक्टूबर, 1979 या उसके बाद की तिथि से उत्पादन में जाने पर उस इकाई के द्वारा सेट ऑफ करने के बाद दी गयी विक्री कर की राशि सूद मुक्त ऋण बिना बंधक के (Unsecured Loan) ऋण के रूप में निम्नांकित रूप से विमुक्त किया गया है।

क0	जिलों की श्रेणी	अवधि	अधिकतम सीमा	अधिकतम राशि	वसूली की शर्त
1	2	3	4	5	6
1	गैर पिछड़े जिले	7 वर्ष	अचल सम्पति के व्यय का 50%	लघु उद्योग– सीमा नहीं परन्तु न्यूनतम सीमा रू0 1000। वृहत एवं मध्यम उद्योग – अधिकतम अचल सम्पति का 8% वार्षिक	6वें वर्ष में प्रारम्भ होकर 5 वर्षों में 10 अर्द्धवार्षिक किस्तों में।
2	पिछड़े जिले	10 वर्ष	अचल सम्पति के व्यय का 75%		8वें वर्ष में प्रारम्भ होकर 5 वर्षों में 10 अर्द्धवार्षिक किस्तों में।

उपर्युक्त योजना औद्योगिक नीति–1986 के अन्तर्गत पुनः लागू की गयी जिसमें लघु उद्योगों की अधिसीमा गैर पिछड़े जिलों के लिए रू0 10.00 लाख तथा पिछड़े जिलों के लिए रू0 15.00 लाख निर्धारित की गयी।

इसी प्रकार वृहत एवं मध्यम उद्योगों के लिए 10 प्रतिशत अधिकतम रू0 25.00 लाख गैर पिछड़े जिलों तथा पिछड़े जिलों के लिए यह सीमा रू0 30.00 लाख रूपये निर्धारित की गयी। समय–सीमा के उपरान्त भुगतान किए जाने पर 16 प्रतिशत का दण्ड सूद दिया जाना निर्धारित था।

2. झारखण्ड स्मॉल इण्ड0 एसोसिएशन, राँची, लघु उद्योग भारती, राँची एवं अन्य औद्योगिक संघों के द्वारा समय–समय पर ऋण के लंबित मामले के संबंध में एक मुश्त निपटारा योजना लागू किए जाने के कम में राज्य सरकार के द्वारा सम्यक विचारोपरान्त पाया गया कि औद्योगिक ऋण प्राप्त करनेवाली अधिकतर टाईनी उद्योग थी, जिनका अस्तित्व भी नहीं है। अतः राज्य के उद्यमियों के लिए निम्नांकित रूप से एक मुश्त निपटारा योजना लागू करने पर संलेख ज्ञापांक 165 दिनांक 20.01.2011 दिनांक 15.02.2011 को मद सं0–03 के रूप में राज्य मंत्रिपरिषद के द्वारा निम्न निर्णय लिया गया :–

i. यह एक मुश्त निपटारा योजना झारखण्ड राज्य के गठन से पूर्व यानी दिनांक 14.11.2000 तक ऋण प्राप्त किया गया हो उन उद्योगों पर लागू होगी।

ii. इस योजना के अन्तर्गत बकाये की मूल राशि + 25%(P+25% of P) ली जाएगी। मूल राशि का अर्थ मूल बकाया राशि होगी, जिसका सत्यापन स्थानीय कार्यालय के द्वारा किया

जाएगा। यह दायित्व स्थानीय कार्यालय – महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र तथा औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के प्रबंध निदेशक का होगा।

iii. एक मुश्त निपटारा योजना से संबंधित अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से दो माह तक संबंधित कार्यालयों यथा – औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार अथवा जिला उद्योग केन्द्र में आवेदन पत्र समर्पित किया जा सकेगा।

iv. संबंधित कार्यालयों के प्रधान यथा प्रबंध निदेशक, औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र से आवेदन प्राप्त कर राशि के समायोजन की गणना कर ऋण का Settlement करेंगे। प्राप्त आवेदन का निष्पादन सामान्यतः 60 दिन में किया जाएगा। निष्पादन का तात्पर्य पूर्ण वसूली से है। कंडिका (ii) के अनुरूप गणना की गयी पूर्ण राशि की वसूली अनिवार्य है।

v. संबंधित आवेदक इकाई के द्वारा आवेदन के साथ 50 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी तथा आवेदन देने के अधिकतम दो माह के भीतर शेष 50 प्रतिशत की राशि जमा करनी होगी। विशिष्ट कारण से समय–सीमा के अन्दर राशि जमा नहीं करने पर अधिकतम एक माह का grace period जो आवेदन देने के 90 दिन (कंडिका-iv का 60 दिन+grace 30 दिन) तक सीमा का होगा, लागू होगा। grace period में 5% अधिक सूद (P+30%) देय होगा। भविष्य में विभागीय मंत्री द्वारा अतिरिक्त एक माह का अवधि विस्तार होने पर भी 5% अतिरिक्त सूद/माह विस्तारित अवधि हेतु कंडिका-ii के अतिरिक्त देय होगी।

vi. राशि मात्र Demand Draft से प्राप्त किया जाएगा, चेक अथवा नकद राशि नहीं ली जाएगी।

vii. संबंधित कार्यालय भी अपने स्तर से सभी संबंधित औद्योगिक ऋणियों को योजना की जानकारी देंगे।

viii. एक मुश्त निपटारा योजना के अन्तर्गत जो उद्यमी Settlement नहीं करेंगे, उनकी वसूली हेतु वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें कुर्की जब्ती भी की जाएगी।

ix. यदि उक्त ऋण की वसूली हेतु कोई केस ऋणी के विरूद्ध न्यायालय में दाखिल कर दी गयी है, ऋण वापसी के उपरान्त उक्त वाद को यथाशीघ्र प्रबंध निदेशक, औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा वापस ले लिया जाएगा। पूर्ण राशि वसूली के 30 दिन के अन्दर वापसी आवेदन दायर कर, वापसी आदेश प्राप्त किया जाएगा। पूर्ण राशि जमा कर चुके उद्यमी को कोई वैधानिक असुविधा न हो।

Ap

3. एक मुश्त निपटारा योजना के उपर्युक्त प्रस्ताव की समय–सीमा का अवधि विस्तार एक बार एक माह अतिरिक्त तक किए जाने का अधिकार माननीय विभागीय मंत्री के पास होगा।

4. यह संकल्प निर्गत की तिथि से प्रभावी माना जाएगा तथा संबंधित कार्यालय यथा जिला उद्योग केन्द्र/प्राधिकार का यह दायित्व होगा कि ऋणी को तुरंत सूचना देकर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे तथा कृत कार्रवाई की सूचना विभाग को देंगे।

5. इस प्रस्ताव पर वित्त एवं विधि विभाग की सहमति प्राप्त है।

आदेशः **:एतद् द्वारा आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का विस्तृत प्रचार–प्रसार करते हुए इसकी प्रति झारखण्ड गजट के विशेष अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसे सभी विभागों/विभागाध्यक्षों और अधीनस्थ पदाधिकारियों के बीच परिचालित की जाय।**

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

26/02/11

सरकार के सचिव
उद्योग विभाग

ज्ञापांक 477 /रांची, दिनांक 26-02-2011
7/उ0नि0(ए0नि0यो0)–31/2008

प्रतिलिपिः अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि संकल्प की 200 (दो सौ) प्रतियां यथाशीघ्र विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

26/02/11

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 477 /रांची, दिनांक 26-02-2011
7/उ0नि0(ए0नि0यो0)–31/2008

प्रतिलिपिः माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/प्रधान सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/वित्त सचिव, झारखण्ड, राँची/सचिव, योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, विधि विभाग, झारखण्ड, राँची/उद्योग निदेशक, झारखण्ड, राँची/प्रबंध निदेशक, औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, आदित्यपुर/राँची/बोकारो एवं दुमका/सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, झारखण्ड/अध्यक्ष, चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, सरायकेला–खरसांवां/अध्यक्ष, झारखण्ड स्मॉल इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन, कोकर, राँची/अध्यक्ष, झारखण्ड स्मॉल टाइनी इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन, चास, बोकारो/अध्यक्ष, सिंहभूम चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, विष्टुपुर, जमशेदपुर/अध्यक्ष, संथाल परगना स्मॉल इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन, जूनबांध, देवघर/अध्यक्ष, झारखण्ड स्मॉल टाइनी सर्विस एण्ड बिजनेश इन्टरप्राईजेज एसोसिएशन चास, बोकारो/अध्यक्ष, फेडरेशन चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, कडरू डायवर्सन, मेन रोड, राँची/अध्यक्ष, झारखण्ड इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन, बोकारो स्टील सिटी/अध्यक्ष, लघु उद्योग भारती, बिरसा नगर, हटिया स्टेशन रोड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/02/11

सरकार के सचिव